

नवीन पंचायती राज व्यवस्था में महिला जन प्रतिनिधियों की भूमिका

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र पंचायती राज व्यवस्था में महिला जन प्रतिनिधियों की भूमिका के अध्ययन पर आधारित है। इस शोध पत्र के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को दिए आरक्षण का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ ही महिला सशक्तिकरण के बारे में भी बताया गया है इस शोध पत्र में महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी के बारे में बताया गया है। आज की महिला और पुरुष समानता की ओर देश अग्रसर हो रहा है। देश के विकास में महिला सहायक कदम उठा रही है।

मुख्य शब्द : पंचायती राज व्यवस्था, महिला प्रतिनिधि, राजनैतिक भागीदारी, 73वां संविधान संशोधन।

प्रस्तावना

भारत विश्व का अति प्रजातंत्रीय देश है यहाँ पर महिला को सदैव सम्मान की दृष्टि से देखा गया है। भारतीय इतिहास के सृजन में महिला शक्ति में अपना असीम योगदान दिया है। स्वाधीनता के बाद महिलाओं में राजनैतिक ज्ञान के विकास होने से महिलाओं का सामाजिक स्तर ऊँचा उठा है। भारत गाँव का देश है लगभग 75% जनसँख्या गाँवों में निवास करती है। ग्रामीण महिलाएँ जीवनभर तिगुना बोझ ढोती है। ग्रामीण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र एवं आर्थिक गतिविधियों में विशेषकर घर के रख रखाव, खेती, आय बढ़ाने वाली गतिविधियों में महिलाओं का योगदान अनमोल है।

महिलाएँ समाज के लगभग आधे भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं महिलाओं को विकास की प्रक्रिया में भागीदार बनाना बहुत ही जरूरी है जिससे हमारा देश और विकसित हो पायेगा।

अध्ययन का उद्देश्य

1. पंचायती राज व्यवस्था से महिलाओं को परिचित कराना व पंचायत से सम्बन्धित विषयों से जागृति उत्पन्न करना।
2. पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की अभिवृद्ध राजनैतिक सहभागिता का विवरण प्रस्तुत करना।
3. पंचायती राज में महिलाओं प्रतिनिधियों का राजनैतिक निर्णय, निर्माण, प्रक्रिया का स्पष्टिकरण करना।
4. महिलाओं की जनप्रतिनिधि के रूप में विकास यात्रा को स्पष्ट करना।

73वें संविधान संशोधन के पंचायती राज व्यवस्था में सबसे क्रान्तिकारी कदम उठाकर समाज के सभी वर्गों के लोगों के स्त्रियों एवं पुरुषों को स्थानीय व्यवस्था में सहभागिता का सामान अवसर प्रदान किया।

73वां संविधान संशोधन अधिनियम

विभिन्न समितियों के सुझाव के अनुसार तैयार किया गया राजीव सरकार का पंचायती राज संस्थाओं से सम्बन्धित विधयक को पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार ने संशोधित कर 1992 में 73वें संशोधन के रूप में संसद में पारित करवाया यह 73वां संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया। इस संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया जिसका शीर्षक "पंचायत" रखा गया। इसके द्वारा अनुच्छेद 243 में पंचायतों से सम्बन्धित प्रावधान किये गये जिसमें 15 उपअनुच्छेद हैं इस अधिनियम के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक स्तर पर सभी पदों पर महिलाओं के पद 33 प्रतिशत आरक्षित किये गये अब महिलाएँ पंच, सरपंच, प्रधान व प्रमुख बन सकेंगी 33 प्रतिशत सीटों पर।

राजस्थान में 1995 में चुनाव आयोजित किये गये जिसमें महिलाओं की राजनैतिक सहभागिता बढ़ी। अधिनियम के प्रावधान निम्नलिखित हैं।

शालिनी सान्दू

व्याख्याता,
लोक प्रशासन विभाग,
संत जयाचार्य महिला
महाविद्यालय,
जयपुर, राजस्थान, भारत

1. ग्राम स्तर एक ऐसा निकाय होगा जिसमें ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र में मतदाताओं के रूप में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होंगे। ग्राम सभा राज्य विधान मण्डल द्वारा निर्धारित शक्तियों का प्रयोग तथा कार्यों को संपन्न करेगी।¹
2. प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती स्तर व जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जायेगा।²
3. राज्य विधान मण्डल विधि के प्रावधानों के अनुरूप पंचायतों का गठन किया जायेगा।³
4. प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित होंगी ये सीटें पंचायत में उनकी जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित किया जाएगी। 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।⁴
5. प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा इसकी कार्यवाही की समाप्ति के पूर्व में ही नए चुनाव करवाए जाएँगे। यदि पंचायत को पांच वर्ष से पूर्व ही बंद कर दिया जाता है तो छः माह की अवधि समाप्त होने के पूर्व चुनाव कराए जाएँगे।⁵
6. प्रत्येक पांच वर्ष पश्चात् पंचायतों की वित्तीय स्थिति को समीक्षा करने और समुचित सिफारिश करने के लिए वित्त आयोग का गठन करेंगे।⁶
7. राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य चुनाव आयुक्त के संरक्षण में राज्य चुनाव आयोग की मतदान सूचियाँ तैयार करने में अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण रखेगा तथा वही पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन कराएगा।⁷
8. राज्य विधान मण्डल विधि द्वारा पंचायतों द्वारा खाते तैयार करने तथा इन खातों की लेखा परीक्षा सम्बन्धी प्रावधानों का निर्माण करेगा।⁸
9. प्रत्येक जिले में जिला आयोजन समिति गठित की जाएगी जो सम्बन्धित जिले सर्वांगीण विकास हेतु कार्य करेगी।⁹

इस प्रकार 73वें संविधान संशोधन द्वारा मरी हुई पंचायतों को जीवन प्रदान किया गया है संवैधानिक दर्जा दिए जाने से उनका अस्तित्व सुरक्षित हो गया है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को ना केवल प्रशासनिक अधिकार प्राप्त हुए हैं बल्कि वित्तीय संसाधनों की गारंटी भी प्राप्त हुई है।¹⁰

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में पंचायती राज के तीनो स्तर पर राजनीति में महिलाओं की सुनिश्चित सहभागिता हेतु महिलाओं के लिए निम्न पद आरक्षित किये गये हैं।¹¹

राजस्थान में महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या

1. वार्ड पंच	32000
2. सरपंच	3050
3. पंचायत समिति एवं जिला परिषद् के सदस्य	1150
4. प्रधान	79
5. जिला प्रमुख	10 ¹²

आज महिलाएं अपनी समझ बढ़ा रही हैं कि उनकी भागीदारी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि सही संतुलित समाज निर्माण के लिए आवश्यक है। पंचायती राज में महिलाओं को 33 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था है जिससे कि इन संस्थाओं में इनका प्रतिनिधित्व बना रहे ऐसे कदम से महिलाओं में शासन के प्रति भागीदारी की भावना का विकास हुआ है। अब महिलाएं चाहे राजनैतिक प्रतिनिधित्व कहे या सामाजिक स्तर पर सशक्त हुई हैं जैसे—

1. ग्रामीण स्तर पर — ग्राम स्वराज्य व्यवस्था ग्राम में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक विकास में महिलाएं जन प्रतिनिधि की भागीदारी सुनिश्चित हुई हैं। केंद्र सरकार की घोषणा अनुसार वर्ष 2001 "महिला सशक्तिकरण" के रूप में मनाया गया है। ग्रामीण स्तर पर महिलाओं में जागृति आई है। पंचायती राज ने उन्हें अधिकारों से ही लेस नहीं किया वरन उनके भीतर की आंतरिक शक्ति को भी जागृत कर दिया गया है वे अपनी सहभागिता निभाने के लिए तैयार हैं। ग्रामों के होने वाली हर बैठक में भाग लेती हैं। गाँधी जी का कहना था कि नारी को अबला कहना उसका अपमान करना है। नारी स्वयं ही शक्ति स्वरूपीणी है, वो आज की इंदिरा है। महिला प्रतिनिधियों ने अपने आप को साबित कर दिया है।
2. सामाजिक स्तर — किसी भी समाज का स्वरूप वहाँ की नारी की स्थिति पर निर्भर करता है यदि उसकी स्थिति सुदृढ़ एवं सम्मान जनक है तो समाज भी सुदृढ़ होगा लम्बे संघर्ष के बाद भारतीय महिलाओं ने समाज में अपने लिए जगह बनाई है। अब महिला प्रतिनिधियों का सामाजिक स्तर ऊँचा उठा है। समाज में उनकी पहचान बन गई है। पर्दे की ओट में सिमटी महिलाएं ने पंचायती राज कानून के फलस्वरूप एक मंच पर आ गई हैं और अपनी शक्ति पहचान कर जन तंत्र में सक्रिय रूप से भागीदार बन कर सामाजिक पहचान बनाने में सफल हुई हैं।
3. आर्थिक स्तर पर — वर्तमान समय में महिलाएं समझ गई हैं कि उनकी भागीदारी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि एक सही संतुलित समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है घर के काम काज के अलावा अब महिलाएं जन प्रतिनिधि होने के नाते गाँवों के विकास के बारे में योजनाएं बनाती हैं, कौनसी योजना चल रही है जागरूक होकर ध्यान रखती हैं। ग्रामीण आर्थिक विकास में सहायक कदम बढ़ाती हैं जिससे गाँवों का विकास होता है। महिला जन प्रतिनिधियों के ऐसे कदम से देश का विकास तेजी से हो रहा है।¹³
4. राजनैतिक स्तर पर — पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण रूपी कवच की प्राप्ति होने के कारण महिला प्रतिनिधियों में राजनैतिक चेतना, राजनैतिक जागृती एवं राजनैतिक सभागिता का विकास हुआ है। महिलाओं की इस भागीदारी के कारण उनके सम्मान

व प्रतिष्ठा में अप्रत्याशित बढ़ोत्तरी हुई है। अब पुरुष वर्ग भी महिलाओं की योग्यता, क्षमता व अनुभव का लोहा मानने लगा है। इस साकारात्मक परिवर्तन के फलस्वरूप महिलाओं में नई चेतना व आत्मविश्वास की किरणों का संचार हुआ है। 14

पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार आया है। परन्तु अभी भी वह महिलाएँ इतनी सशक्त नहीं हुयी हैं कि इस व्यवस्था में अपनी जोरदार भूमिका निभा सकें। इसके लिए महिलाओं को अनेक उपायों पर ध्यान आकृषित करना होगा। सर्वप्रथम ग्रामीण महिलाओं को शिक्षित बनाना होगा साथ ही उनको प्रत्यक्ष परिस्थिति का सामना करने के लिए एक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी होगी। ग्रामीण महिलाओं के लिए एक विशेष कार्यक्रम सप्ताह में एक बार आयोजित किया जाना होगा। ग्रामीण महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह कर्तव्य केवल घर के सदस्यों का ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण गांव वालों का होना चाहिए ताकि महिलाओं में आत्मविश्वास बढे और वह जागरूक हो सकें। एक महिला के सामने सबसे बड़ी चुनौती तब होती है जब वह कोई सार्वजनिक या राजनैतिक कार्य सफलतापूर्वक अपने बल पर कर ले जाती है। इसलिए अगर गांव की प्रधान महिला है तो ग्रामीणों की तथा महिला के घर वालों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह उस पर दबाव बनाने के बदले इस कार्य में उसका साथ निभाएँ। किसी महिला की पंचायती राज व्यवस्था में भागीदारी तभी संभव है जब वह पढीलिखी व विकसित मनोवृत्ति की हो ताकि वह ग्रामीण समाज को साफ सुथरा बना सके। ग्रामीण समाज में यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि महिलाओं के साथ समानता, स्वतन्त्रता तथा न्यायपूर्ण व्यवहार हो ताकि वह किसी मानसिक तनाव का शिकार न हो सकें। पुरुषों का भी यह दायित्व बनता है कि वह महिलाओं के कार्य पर उनकी सराहना करें ना कि उनके कार्यों में कमियां ढूंढें। एक महिला तभी साहसी और आत्मविश्वासी हो सकती है जब उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों जैसे शिक्षा, सफाई, पोलियो अभियान, भ्रूण हत्या रोकथाम व कन्या शिक्षा अभियान जैसे कार्यों को सराहा जाएगा। ग्रामीण महिलाओं को अपने विचार मंथन करने के लिए वाद-विवाद प्रतियोगिताओं जैसे कार्यों में भी भाग लेने के लिए जागरूक बनाया जाए ताकि वह अपनी बात कहने में जरा

भी नहीं हिचकें। सरकार को भी उनका पूर्ण समर्थन करना होगा क्योंकि पंचायती राज उसी की देन है

निष्कर्ष

73वें संविधान संशोधन लागू होने के साथ राजस्थान के 38791 महिला प्रतिनिधियों में पंचायती राज के विभिन्न स्तरों पर कार्य करना शुरू कर दिया है महिला में क्षमता है यदि उन्हें उचित अवसर एवं आजादी कार्य करने को मिले तो वह कही पुरुषों से कमतर साबित नहीं होने वाली, परन्तु सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों की आड लेकर कुछ लोगो ने उनके मार्ग में अनेक बधाए खड़ी कर दी है। महिलाओं के सामाजिक विकास अधिक जोर दिया जा रहा है क्योंकि उन्हें पंचती राज में दी गई ताकत तब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुँचेगी जब तक उनके मार्ग में खड़ी बाधाओं से लड़ने की ताकत उनमें नहीं आएगी।

अंत टिप्पणी

1. वसु दुर्गादास, "कॉन्स्टीट्यूशन अम्बेडमेंट एक्स्टस" 7वां संस्करण "पृष्ठ 70-77 शातिर कांस्टीट्यूशन ऑफ इण्डिया 11 संस्करण, प्रोटिस होल ऑफ इण्डिया, पृष्ठ दृ 815-20 जनवरी, 2001
2. भारतीय संविधान अनुच्छेद दृ 243. (ब)
3. उपयुक्त, भारत का संविधान अनुच्छेद 243 (ठ) 1
4. उपयुक्त, भारत का संविधान अनुच्छेद 243 (ड) 1
5. उपयुक्त, भारत का संविधान अनुच्छेद 243 (क) 3
6. उपयुक्त, भारत का संविधान अनुच्छेद 243 (ध)
7. उपयुक्त, भारत का संविधान अनुच्छेद 243 (झ)
8. उपयुक्त, भारत का संविधान अनुच्छेद 243 (श्र)
9. डॉ. कुल्हारी पंचायती राज व्यवस्था एवं महिला सशक्तिकरण पृष्ठ संख्य 124
10. द्विवेदी डॉ. राधेश्याम, "मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम नवम संस्करण 2000" पृष्ठ 43
11. डॉ. कुल्हारी पंचायती राज व्यवस्था एवं महिला सशक्तिकरण पृष्ठ दृ 1-2
12. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विकास
13. डॉ. कुल्हारी पंचायती राज व्यवस्था एवं महिला सशक्तिकरण पृष्ठ संख्या दृ 1-6
14. डॉ. कान्ता कटारिया, भारत के राजनैतिक विकास में महिलाओं की भागीदारी पृष्ठ दृ 191